



आदेश क्रमांक -17/1-2023 पी.एस. (ई0-1)

दिनांक, पंचकूला - 20.03.2023

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 42 (2) III में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रबन्धक, Siddhartha Educational and Charitable Trust, G.T. Road, Samalkha, Panipat को उनके द्वारा संचालित विद्यालय Siddhartha International School, G.T. Road, Samalkha, Distt. Panipat का नाम बदलकर Delhi World Public School, G.T. Road, Samalkha, Distt. Panipat करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वह विभाग के आदेश क्रमांक PSR092022531 दिनांक 08.12.2022 के तहत प्रदान की गई मान्यता में निहित शर्तें एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003, 2007, 2009 व आर.टी.ई. नियम 2011 तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित करती रहेगी।

नोट:- स्कूल का नाम बदलने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि स्कूल प्रबन्धक, कक्षा 12वीं तक की मान्यता विभाग से प्राप्त करें तथा प्राईमरी सैक्शन में प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त करें।

महाबीर प्रसाद,
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन मौलिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन-क्रमांक-सम

दिनांक, पंचकूला - 22.03.2023

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्धक, Siddhartha Educational and Charitable Trust, G.T. Road, Samalkha, Panipat.
2. सचिव, CBSE, Shiksha Kendra, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-110092.
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, Bhiwani.
4. जिला शिक्षा अधिकारी, Panipat.
5. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, Panipat.
6. मुख्याध्यापक, Delhi World Public School, G.T. Road, Samalkha, Distt. Panipat.
7. आई0टी0 सैल (H.Q).
8. ऑफिस रिकार्ड।

22/03/2023

अधीक्षक, पी0एस,
कार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।